न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक : ...../2015

निगरानी 1550-II-15

चन्दर सिंह आत्मज श्री धन्ना जी
वयस्क, जाति अहीर,
निवासी ग्राम तलेन, तहसील पचौर,
ज़िला राजगढ़ ..... प्रार्थी

विरूद्ध

प्रेमसिंह आयु वयस्क
आत्मज श्री ईश्वर
निवासी ग्राम तलेन, तहसील पचौर,
ज़िला राजगढ़ ..... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं, 1959 विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 16.04.15 जो प्रकरण क्र. 2/अ–12/14–15 में श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील तलेन, ज़िला राजगढ़ द्वारा पारित किया गया

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

04. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रतिप्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि खसरा क्र. 627/1/3 रकबा 0.702 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर मौके पर विधिवत् सीमांकन किये बग़ैर आलोच्च सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिससे दुःखित एवं असंतुष्ट होकर श्रीमान् के समक्ष यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

आधार

01. यह कि, आदेश विद्वान तहसीलदार महोदय का विधि, प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कर निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि, विद्वान तहसीलदार महोदय ने आलोच्च सीमांकन आदेश पारित किये जाने के पूर्व प्रार्थी की सुनवाई नहीं की है, ऐसी दशा में पारित आलोच्च सीमांकन आदेश विधि विपरीत है, जो इस सम्माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कर निरस्त किये जाने योग्य है।

नीरज श्रीवास्तव
निरंतर..... एडवोकेट
25, हरि निवास "दुर्गा कॉलोनी"
तलैया, भोपाल

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—1550—दो / 2015 जिला—राजगढ़

चन्दर सिंह विरूद्ध प्रेमसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29—05—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार तहसील पचौर, जिला—राजगढ़ के प्र.क्र. 2 / अ—12 / 2014—15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16—04—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़, जिला—राजगढ़ को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 23—07—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 29/5/19 सदस्य	